



St. Wilfred Law College, Gegal, Ajmer

Date : 02/02/2026

सूचना :

विधि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि, कॉलेज से मूल दस्तावेज (मूल-अंकतालिका, मूल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मूल उपस्थिति प्रमाण-पत्र, मूल T.C.,C.C.) सम्बन्धित विद्यार्थी को ही दिए जाएँगे।

किसी अन्य व्यक्ति को मूल दस्तावेज (मूल अंकतालिका, मूल प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मूल उपस्थिति प्रमाण-पत्र, मूल T.C.,C.C.) प्रदान नहीं किये जाएँगे।

प्राचार्य